रूप क्रमांक 2

(देखिये नियम 7)

मध्य प्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र

क्रमांक **04/14/01/18730/17**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री **यश एजुकेशन समिति जबलपुर**,समिति जो **सी–3 यशवर नगर कचनार सिटी विजय नगर** तहसील **जबलपुर** जिला **जबलपुर** में स्थित है, मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन **07 फरवरी 2017** को पंजीयित की गई है।

Signature valid
Digitally Signed By Anil Kumar Pandit
(Personal)
Date : 07-Feb-2017 17:33:20 IST

दिनांक 07 फरवरी 2017

समितियों के रजिस्ट्रार

Note : This is a Digitally Signed document On 07/02/2017 05:33 PM

Scanned with CamScanner

प्रारूप क्रमांक 1

(देखियें नियम 3)

समितियों के पंजियन हेतु ज्ञापन-पत्र

आवेदन क्रमांक : S636010390402812 2016	अनुमोदन दिनाँक : 25 Jan 2017

1.	**सोसायटी का नाम** श्री यश एजुकेशन समिति जबलपुर **होगा।**
2.	**सोसायटी का प्रधान कार्यालय** मकान **क्रमांक** सी—3 यशवर नगर कचनार सिटी विजय नगर 482002 **तहसील** Jabalpur **जिला** Jabalpur **मध्य प्रदेश में स्थित होगा।** **सोसायटी का संपर्क नंबर (अध्यक्ष/सचिव)** 9424755431 **ईमेल आई.डी** dkjaiswal220385@rediffmail.com
3.	**3. सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगेः-**
1	शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना एवं सभी विषयों के संबधित पाठ्यक्रमों का संचालन कर उन्हें शिक्षा प्रदान करना तथा के.जी, प्राइमरी, नर्सरी, प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेण्ड्री,आई.टी.आई. कम्प्युटर प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना।
2	शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महाविद्यालयों, व्यवसायिक महाविद्यालयों,सूचना प्रोयोगिकी शिक्षा एवं चिकित्सा महाविद्यालय,एवं अन्य तकनीकि शिक्षा महाविद्यालयों का संचालन व स्थापना करना शिक्षा से सम्बंधित अन्य जनकल्याणकारी कार्य करना।
3	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो मे स्वास्थ्य के प्रति प्रचार प्रसार तथा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना।
4	स्वच्छता अभियान से संबंधित प्रत्येक योजनाओं को देश के कोने —कोने तक पहुंचाना एवं ग्रामीण जनजीवन के स्तर में गुणात्मक सुधार लाना।
5	ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों पौधा रोपण कार्य करना एवं करवाना एवं पर्यावरण विकास हेतु जानकारी देना एवं पर्यावरण जागरूकता संबंधी कार्यक्रम आयोजित करना।
6	ग्रामीण क्षेत्रों में पुरूषों /महिलाओं, बालक-बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु खेलकूद प्रशिक्षण एवं राष्ट्रीय स्तर के खेलकूदों का समय-समय पर आयोजन कराना एवं धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा ग्रामीण विकास योजनाओं, ग्रामीण स्वच्छता, शुद्ध पेयजल कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार व संचालन करना।
7	बालक/बालिकाओं/महिलाओं/पुरूषों को टायपिंग, कम्प्यूटर, पेटिंग, हस्तशिल्प एवं परीक्षा पूर्व शिक्षण प्रशिक्षण संगीत प्रशिक्षण, पेटिंग, सिलाई एवं बुटीक, कढ़ाई, बुनाई हस्तकला, शिल्पकला वस्तुकला का व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाकर स्वरोजगार हेतु जागरुक करना। एवं झूलाघर बालवाड़ी एवं प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र तथा वाचनालय पुस्तकालय को संचालित करना व ऐसे सभी हितकारी कार्य करना जिससे समाज का कल्याण हो।
8	जल बचाओं अभियान चलाना ग्रामीण क्षेत्रों में जल की व्यवस्था करना।
9	शासन द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के तहत ग्रामीण एवं पिछड़े वर्ग के लोगों तक जानकारी पहुँचाना एवं उनका लाभ दिलाना।
10	नशामुक्ति धुम्रपान, अंधविश्वास की बुराई को मिटाने के लिए कार्य करना एवं लोगों में जागरूकता पैदा करना।
11	गरीब एवं असहाय, दिव्यांग, बेसहारा, विधवा/परित्यक्ता महिला, बालक/बालिकाओं/महिलाओं/पुरूषों के कल्याण हेतु शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, वृद्धाश्रम, छात्रावास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, खेलकूद प्रपिक्षण तथा विशेषज्ञों का सेमीनारों की स्थापना व संचालन तथा पिविरों का आयोजन कर इनका मार्गदर्शन करना।
4.	4. सोसायटी के कामकाज का प्रबंध सोसायटी के विनियमों द्वारा गवर्नर संचालक परिषद समिति या शासी निकाय को सौंपा गया है, जिनके नाम, पते तथा उपजीविका नीचे विनिर्दिष्ट की गई हैः-

Scanned with CamScanner

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पद	पूर्ण पता	व्यवसाय
1	श्री दिलीप जायसवाल	श्री बी.एल. जायसवाल	अध्यक्ष	सी—3, यशवर नगर कचनार सिटी विजय नगर, Jabalpur, Jabalpur, Madhya Pradesh	कन्सट्रेक्शन
2	श्रीमति शर्मीला जायसवाल	श्री दिलीप जायसवाल	उपाध्यक्ष	डी—1, दिव्यविला यशवर नगर कचनार सिटी के अंदर विजय नगर, Jabalpur, Jabalpur, Madhya Pradesh	कालोनाईजर
3	दिव्या जायसवाल	श्री दिलीप जायसवाल	सचिव	डी—1, दिव्यविला यशवर नगर कचनार सिटी के अंदर विजय नगर, Jabalpur, Jabalpur, Madhya Pradesh	इंजीनीयर
4	श्री यश जायसवाल	श्री दिलीप जायसवाल	कोषाध्यक्ष	डी—1, दिव्यविला यशवर नगर कचनार सिटी के अंदर विजय नगर, Jabalpur, Jabalpur, Madhya Pradesh	छात्र
5	सोनम जायसवाल	श्री अभिनव जायसवाल	संयुक्त सचिव	डी—1, दिव्यविला यशवर नगर कचनार सिटी के अंदर विजय नगर, Jabalpur, Jabalpur, Madhya Pradesh	वस्तुकार
6	श्री अजय जायसवाल	श्री बी.एल. जायसवाल	सदस्य	मकान नं. 104, नेपियर टाऊन, Jabalpur, Jabalpur, Madhya Pradesh	रेस्तरा
7	श्री हरीश यादव	स्व. श्री किशोरी लाल यादव	सदस्य	मकान नं. 521, सराफा, Jabalpur, Jabalpur, Madhya Pradesh	स्वर्णकार

5. समिति के इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है। हम, अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन-पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

क्रमांक	निर्माणकर्ताओं के नाम, पूर्ण पते, पिता/ पति का नाम सहित	हस्ताक्षर
1	श्री दिलीप जायसवाल , श्री बी.एल. जायसवाल, सी—3, यशवर नगर कचनार सिटी विजय नगर, Jabalpur, Jabalpur, Madhya Pradesh	[signature]
2	श्रीमति शर्मीला जायसवाल , श्री दिलीप जायसवाल, डी—1, दिव्यविला यशवर नगर कचनार सिटी के अंदर विजय नगर, Jabalpur, Jabalpur, Madhya Pradesh	Smt. Sharmila Jaiswal
3	दिव्या जायसवाल , श्री दिलीप जायसवाल, डी—1, दिव्यविला यशवर नगर कचनार सिटी के अंदर विजय नगर, Jabalpur, Jabalpur, Madhya Pradesh	Divya Jaiswal
4	श्री यश जायसवाल , श्री दिलीप जायसवाल, डी—1, दिव्यविला यशवर नगर कचनार सिटी के अंदर विजय नगर, Jabalpur, Jabalpur, Madhya Pradesh	Yash Jaiswal
5	सोनम जायसवाल , श्री अभिनव जायसवाल, डी—1, दिव्यविला यशवर नगर कचनार सिटी के अंदर विजय नगर, Jabalpur, Jabalpur, Madhya Pradesh	Sonam Jaiswal
6	श्री अजय जायसवाल , श्री बी.एल. जायसवाल, मकान नं. 104, नेपियर टाऊन, Jabalpur, Jabalpur, Madhya Pradesh	[signature]
7	श्री हरीश यादव , स्व. श्री किशोरी लाल यादव, मकान नं. 521, सराफा, Jabalpur, Jabalpur, Madhya Pradesh	

6. हम निम्नानुसार पदाधिकारी / सदस्य आदर्श उप-विधियाँ प्रारूप-एक क को सोसाइटी की उप-विधियों के रूप में स्वीकार करते हैं।

(अध्यक्ष/सदस्य) [signature] (सचिव) Divya Jaiswal (कोषाध्यक्ष) [signature]

दिनांक...

Scanned with CamScanner

सोसाइटी से संबंधित दस्तावेज संलग्न करे

चालान क्रमांक SBIN000615914752812201641006

नियमावली

पदाधिकारी के पहचान पत्र की जानकारी

पहचान पत्र के लिये Driving License — पहचान पत्र का क्रमांक MP20R20130228817

पदाधिकारी के पता की जानकारी

पता के लिये Driving License — पते का क्रमांक MP20R20130228817

Uploaded ID Proof

Uploaded Address Proof

साक्षी:-

हस्ताक्षर :-..................................

साक्षी का नाम :- श्री रामेश्वर शुक्ला

साक्षी का पिता/पति:- स्व.श्री आर.सी. शुक्ला

पूर्ण पता :- मकान नं. सी—1 यशवर नगर कचनार सिटी विजय नगर तहसील व जिला जलबपुर म.प्र.

Scanned with CamScanner

S636

नियमावली

आवेदन क्रमांक : S6360103904028122016 अनुमोदन दिनॉंक : 25 Jan 2017

1.	सोसायटी का नाम श्री यश एजुकेशन समिति जबलपुर होगा।
2.	सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक सी—3 यशवर नगर कचनार सिटी विजय नगर 482002 तहसील जबलपुर जिला जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित होगा।
3.	संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा।
4.	**3. सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगेः-**

हस्ताक्षर अध्यक्ष

हस्ताक्षर सचिव Divya Jaiswal

हस्ताक्षर कोषाध्यक्ष Yash Jain

Scanned with CamScanner

1	शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना एवं सभी विषयों के संबधित पाठ्यक्रमों का संचालन कर उन्हें शिक्षा प्रदान करना तथा के.जी, प्राइमरी, नर्सरी, प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेण्ड्री,आई.टी.आई. कम्प्युटर प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना।
2	शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महाविद्यालयों, व्यवसायिक महाविद्यालयों,सूचना प्रोयोगिकी शिक्षा एवं चिकित्सा महाविद्यालय,एवं अन्य तकनीकि शिक्षा महाविद्यालयों का संचालन व स्थापना करना शिक्षा से सम्बधित अन्य जनकल्याणकारी कार्य करना।
3	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो मे स्वास्थ्य के प्रति प्रचार प्रसार तथा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना।
4	स्वच्छता अभियान से संबंधित प्रत्येक योजनाओं को देश के कोने — कोने तक पहुंचाना एवं ग्रामीण जनजीवन के स्तर में गुणात्मक सुधार लाना।
5	ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों पौंधा रोपण कार्य करना एवं करवाना एवं पर्यावरण विकास हेतु जानकारी देना एवं पर्यावरण जागरूकता संबंधी कार्यक्रम आयोजित करना।
6	ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों /महिलाओं, बालक-बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु खेलकूद प्रशिक्षण एवं राष्ट्रीय स्तर के खेलकूदों का समय-समय पर आयोजन कराना एवं धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा ग्रामीण विकास योजनाओं, ग्रामीण स्वच्छता, शुद्ध पेयजल कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार व संचालन करना।
7	बालक/बालिकाओं/महिलाओं/पुरूषों को टायपिंग, कम्प्यूटर, पेटिंग, हस्तशिल्प एवं परीक्षा पूर्व शिक्षण प्रशिक्षण संगीत प्रशिक्षण, पेटिंग, सिलाई एवं बुटीक, कढ़ाई, बुनाई हस्तकला, शिल्पकला वस्तुकला का व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाकर स्वरोजगार हेतु जागरुक करना। एवं झूलाघर बालवाड़ी एवं प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र तथा वाचनालय पुस्तकालय को संचालित करना व ऐसे सभी हितकारी कार्य करना जिससे समाज का कल्याण हो।
8	जल बचाओं अभियान चलाना ग्रामीण क्षेत्रों में जल की व्यवस्था करना।
9	शासन द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के तहत ग्रामीण एवं पिछड़े वर्ग के लोगों तक जानकारी पहुँचाना एवं उनका लाभ दिलाना।
10	नशामुक्ति धुम्रपान, अंधविश्वास की बुराई को मिटाने के लिए कार्य करना एवं लोगों में जागरूकता पैदा करना।
11	गरीब एवं असहाय, दिव्यांग, बेसहारा, विधवा/परित्यक्ता महिला, बालक/बालिकाओं/ महिलाओं/पुरूषों के कल्याण हेतु शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, वृद्धाश्रम, छात्रावास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, खेलकूद प्रषिक्षण तथा विशेषज्ञों का सेमीनारों की स्थापना व संचालन तथा षिविरों का आयोजन कर इनका मार्गदर्शन करना।
5.	**सोसाइटी के सदस्य निम्नलिखित प्रवर्गो के होंगेः-**

हस्ताक्षर (signature) अध्यक्ष | हस्ताक्षर Divya Jaiswal सचिव | हस्ताक्षर Yash Jain कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

(अ) **संरक्षक सदस्यः** वह व्यक्ति जो रूपये 1000/- या अधिक एकमुश्त दान करता है या एक साल के भीतर बारह किश्तों में भुगतान करता है, सोसाइटी का संरक्षक सदस्य होगा।

(ब) **आजीवन सदस्यः** वह व्यक्ति जो रूपए 500/- या अधिक का भुगतान करता है, सोसाइटी का आजीवन सदस्य होगा।

(स) **साधारण सदस्यः** वह व्यक्ति जो रुपए 10/- प्रतिमाह या रुपए 120/- प्रतिवर्ष भुगतान करेगा, साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी कालावधि के लिए सदस्य होगा, जिसके कि लिए वह अंशदान करेगा।

(द) **अवैतनिक सदस्यः** सोसाइटी की प्रबंधकारिणी समिति, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को मानसेवी सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य वार्षिक साधारण सम्मिलन में भाग से सकते हैं, परंतु वे मत देने के हकदार नहीं होंगे।

6. **सदस्यता की प्राप्ति-**प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा| ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

7. **सदस्यों की योग्यता-** संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक हैः-

1.आयु 18 वर्ष से कम न हो।

2. भारतीय नागरिक हो।

3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो।

4.सद्चरित्र हो तथा मधपान न करता हो |

8. **सदस्यता की समाप्ति-** संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगीः-

1. मृत्यु हो जाने पर|

2. पागल हो जाने पर|

3. संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर|

4. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर|

5. चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।

9. **संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज किये जावेंगेः-**

1.प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर

2.वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया व रसीद नंबर|

3.वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।

हस्ताक्षर अध्यक्ष	हस्ताक्षर Divya Jaiswal सचिव	हस्ताक्षर कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

10.	**(अ) साधारण सभा-** साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेंगी, परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेगी | उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा। **(ब)प्रबंधकारिणी सभा-** प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेंडा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक का कोरम 1/2 सदस्यों की होगी, यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी। **(स) विशेष-** यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाए विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा।
11.	**साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्यः-** (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना। (ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना। (ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्त करना। (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो। (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना। (छ) बजट का अनुमोदन करना।
12.	**प्रबंधकारिणी का गठन-** नियम 5 ((अ), (ब), (स)) में दर्शाए गए सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा। (1)अध्यक्ष -1,(2)उपाध्यक्ष -1,(3)सचिव -1,(4)कोषाध्यक्ष -1,(5)संयुक्त सचिव -1,(6)सदस्य -2
13.	**प्रबंध समिति का कार्यकाल-** प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्टा कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किंतु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षर अध्यक्ष	हस्ताक्षर Divya Jaiswal सचिव	हस्ताक्षर कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य-

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय व्यय लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स) समिति एवं उनके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना, संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

(द) कर्मचारियों,शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए।

(च) संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आंतरित नहीं की जाऐगी।

15.	**अध्यक्ष के अधिकार-** अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में समान मत होने पर निर्णयात्मक होगा।
16.	**उपाध्यक्ष के अधिकार-** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।
17.	सचिव, एक समय में रु. 5000/- तक की राशि मंजूर करने हेतु प्राधिकृत होगा।
18.	**संयुक्त सचिव के अधिकार-** सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा
19.	**कोषाध्यक्ष के अधिकार-** समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।
20.	**बैंक खाता-** सोसाइटी की निधियां अधिसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में जमा की जावेगी। निधियों का आहरण अध्यक्ष/सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाएगा। प्रतिदिन के व्यय के लिए कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रु. 5000/- रहेंगे।
21.	**पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी-** अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 के दिन भीतर विहित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत विहित शुल्क के साथ संस्था एवं संचालित समस्त ईकाइयो को परीक्षित लेखा भेजेगी।
22.	**संशोधन-** संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/ 3 मतों से पारित होगा, यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा, जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

हस्ताक्षर [signature] अध्यक्ष	हस्ताक्षर Divya Jaiswal सचिव	हस्ताक्षर Yash Jain कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

	...टन- संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/ 5 मत से पारित किया जावेगा। ...घटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।
24.	**सम्पत्ति-** संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी।
25.	**पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना-** संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निष्चित कर सकेगा।
26.	**विवाद-** संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निष्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

हस्ताक्षर [signature] अध्यक्ष	हस्ताक्षर Divya Jaiswal सचिव	हस्ताक्षर Yash Jain कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner